राजस्थान सरकार
पंचायती राज विभाग

क्रमांक:–एफ 139(51)परावि / विधि / अतिक्रमण / 2005 / 3833 जयपुर,दिनांक:–24.12.05

::– परिपत्र –::

राजस्थान लोक सम्पत्ति (अनाधिकृत अधिभोगी,बेदखली अधिनियम) 1964 की धारा 2(बी) के अनुसार पंचायतों की सम्पत्ति लोक सम्पत्ति है । इस पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने वाले को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बेदखल किया जा सकता है ।

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 12.11.92 में समस्त जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सम्पदा अधिकारी नियुक्त किया हुआ है, जो पचायत कि सम्पत्तियों से अवैद्य कब्जों को हटाने हेतु अधिकृत हैं । बेदखली के कारणों सहित बेदखली की कार्यवाही का नोटिस दिया जाना चाहिये ।

ऐसे समस्त व्यक्ति जो कि उस सम्पत्ति में हित रखते हों, दस दिन से अनाधिकृत की अवधि जो कि कम से कम 10 दिन की हो, दिया जाना चाहिये । इस नोटिस को उस लोक सपदा के उपर इस प्रकार चस्पा किया जाना चाहिये जिससे कि वे सदृश्य हों, इस प्रकार चस्पा की जाना चाहिये कि वह उपयुक्त रूप से तामील किया हुआ माना जाएगा । जबकि अनाधिकृत के बारे में सम्पदा अधिकारी को जानकारी हो तो वह उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक से तामील करा सकता है।

अनाधिकृत अधिभोगी को सुनने के पश्चात् सम्पदा अधिकारी बेदखली का आदेश पारित कर सकता है तथा इस आदेश की प्रति सम्पत्ति के बाहरी दरवाजे या किसी अन्य सदृश्य स्थान पर चस्पा किया जायेगा यदि वह व्यक्ति आदेश की पालना नही करता है तो सम्पत्ति अधिकारी या उनके द्वारा उपयुक्त रूप से अधिकृत लोकसेवक / कार्मिक उसे खाली करा सकता है तथा उतने बल का प्रयोग कर सकता है जितना कि आवश्यक हो ।

अनाधिकृत अधिभोगी द्वारा छोडी गई सम्पत्ति को 14 दिन का समय देते हुए तथा उसे उस क्षेत्र में विक्रय होने वाले कम से कम एक अखबार में प्रकाशित करते हुए, उस सम्पत्ति को नीलामी द्वारा विक्रय कर सकता है। उस विक्रय से प्राप्त राशि में से, उस व्यक्ति पर बकाया राशि एवं विक्रय का खर्चा काटकर बकाया धनराशि सम्बन्धित व्यक्ति को भुगतान कर दी जावेगी परन्तु यदि स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद है तो उस प्रकरण को सक्षम न्यायालय में पेश कर दिया जायेगा ।

अनाधिकृत अधिभोगी से वसूली, किराये एवं क्षतिपूर्ति की राशि को बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा । उक्त कार्यवाही करते समय गवाहों को बुलाने एवं उनकी उपस्थिति बाध्य करने, दस्तावेजों को मगवाने या किसी अन्य मामले में जिनको विहित किया जाये, सम्पदा अधिकारी को व्यवहार न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होगी ।

अपील के प्रावधान एवं बेदखली आदेश या किराये एवं क्षतिपूर्ति निहित करने के आदेश के विरूद्ध जिला जज अथवा उसके द्वारा अधिकृत न्यायिक अधिकारी हो, के समक्ष की जा सकेगी । यह अपील 15 दिवस के अन्दर की जा सकती है, अगर अपील अधिकारी कारणों से सन्तुष्ट होने पर इसके पश्चात् भी अपील सुन सकता है । सम्पदा अधिकारी या अपील अधिकारी के आदेश के विरूद्ध व्यावहारिक न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होगा ।

किसी व्यक्ति को एक बार बेदखल कर दिया गया हो तो वह एक वर्ष की सजा तथा 1000 / –रूपये के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है तथा सजा देते समय सम्मिलित रूप से मजिस्ट्रेट बेदखली का आदेश दे सकता है ।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– सम्भागीय आयुक्त, समस्त ।
2– जिला कलक्टर, समस्त ।
3– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त ।
4– अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त ।
5– विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त को भेजकर लेख है कि इस परिपत्र को समस्त ग्राम पंचायतों में भेजना सुनिश्चित करें ।

23/12

उप विधि सलाहकार